

Office of the District Collector
Kangra at Dharamshala.

No. 1727 DRA Dated 27 Nov, 2014.


WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5th Februry 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 00-14-70 Hect of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD Deptt. for c/o link road from Bhali to Bhaniyari KM o/o to 1/900 with the Jurisdiction of Bhali village of Distt Kangra.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-14-70 hect of forest land proposed Diversion. Copy of record of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to -----.
- (b) the proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications, in vernacular/local) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the Bhali Gram Sabha has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent of the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Bhali is enclosed as annexure.....
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,
- (e) The diversion of forest land and for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has been given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1) of the FRA.

Encl. As above.


C Paul Rasu, IAS
Distt Collector
Kangra at Dharmshala

Office of the Deputy Commissioner
District Kangra (H.P.)

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship /Chairpersonship of Sh. Rakesh Sharma Add Distt Magistrate Kangra on 14-10-2014 at 11.00 A.M. at Dharmshala in which the application (s) claiming rights in 00-14-70 forest area under FRA 2006 of the following applicant, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee (s) of Sub- Division Kangra was discussed to consider the same for admission by the District Level Committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on application:

Name of Applicant	Decision(Admitted/Rejected)
Asstt Engineer, HPPWD Kotla , Distt Kangra	Admitted

Place : Dharmshala.

Commr
(C.Paulrasu, IAS)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee, Kangra District.

No. *1722*.../DRA, Dated : *27/12/14*

**OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (CIVIL) JAWALI
DISTT KANGRA HP.**

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional Level Committee constituted under Scheduled Tribes & other traditional Forest dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub Divisional Level committee of Jawali Sub Division, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship/chairpersonship of Mr Mohan Datt Sharma SDO (Civil) Jawali on Dated 26-7-2014 at 10.00 A.M. at Jawali (place) in which the application (s) claiming rights in Nurpur forest area under FRA 2006, of the following applicant (s) duly processed and recommended by the Forest Right (s) of Bhali Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the Distt. Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, following decisions were taken on each application:-


No application regarding claim received from Forest Right Committee Bhali.

Decision/Recommended/not recommended.


After considering the resolution passed by Forest Right Committee Bhali the Sub Divisional Committee hereby recommend that Khasra Nos 316/1, 339/1 Kita 2 Area measured 0-14-70 Situated in Mohal Bhali Mauza Bhali Tehsil Jawali Distt Kangra HP should be transferred in favour of HPPWD Jawali Division for construction of link Road Bhali to Bhaniari. Km 0/0 to 1/900 Km. Further it is certified that no settlement claim is pending before the Sub Division Level Committee under Forest Act/Rule 2006.

Place: Jawali.

Date:


Sub Divisional Officer©
-cum-Chairman/Chairperson
Sub Divisional Level Committee
Jawali Sub Division.

no: 561 / SDW/J/d 4/08/2014



Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा चाली

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 11 CD

दिनांक

वन अधिकार समिति ग्राम सभा चाली की बैठक आज दिनांक 6-07-2015 को बजे, स्थान चाली में श्री/श्रीमती सुश्री रमि की अध्यक्षता में की गई जिसमें वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन भूमि के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन भूमि निर्माण के लिए 0.1% हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0

* पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का ब्यौता

1. तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है। C-23 P-55-Vshelli

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0

* पात्र ग्राम वासी का नाम

1. तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है। या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान चाली

दिनांक

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा चाली

PRADHAN

SECY

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।
** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए उन (हस्ताक्षर) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।
GRAM PANCHAYAT BHALI
KANGRA, M.P.

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा भाली
प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....

प्रस्ताव संख्या.....

ग्राम सभा भाली की बैठक आज दिनांक..... को
 बजे, स्थान..... में श्री/श्रीमति..... की अध्यक्षता में
 की गई जिसमें..... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
 वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत..... जंगल/वन
 क्षेत्र में (जिसमें लोनिओडो विभाग द्वारा ए.ए.ए. * भाली वन निवासी के निर्माण के लिए 0-14-70 हैक्टेयर वन
 भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
 प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
 दावा नियमानुसार सही पाया गया :-
 क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा
 1. C-23
 2. U-SS-Khelli

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती
 है।
 उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
 2.
 तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या
 इस ग्राम सभा का वन आवेदन प्रस्ताव, के दावे/ इन दावों के दावे हेतु दावा प्रस्ताव में कोई भी वन
 अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान भाली
 दिनांक.....

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए
 आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
 उपयोग की अनुमति दी जानी है।



अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
 ग्राम सभा भाली

Handwritten signature

DEW BLOCK MAGROTA SURMARA KANGRA, H.P.

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा माली
विकास खण्ड नज्मन चरिया जिला बारा (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 6-7-2014गणपूर्ति 250 / 200

प्रस्ताव संख्या

विषय: लोनि0वि035-गोडल चोरला गोलचबली विभाग/संस्था को एडम माली से भातिपारी
01.08.11 के निर्माण हेतु वन भूमि C-23, 4-55-shall
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-14-70 हैक्टयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।ग्राम सभा माली की बैठक आज दिनांकको बजे स्थान माली विभाग/संस्था को एडम माली से भातिपारी
की गई जिसमें लोनि0वि035-गोडल चोरला वन भूमि जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित
11.40 के निर्माण हेतु वन भूमि हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह प्रारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बंधित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-14-70 हैक्टयर वन भूमि को एडम माली से
माली निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा माली की सहमति दी जाती है।स्थान माली
दिनांकअधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

SECY

GRAM PANCHAYAT, BARA

DEV STICK MICROFILMIZATION, KATOL, M.P.